

¹मध्य प्रदेश, आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999

(दिनांक 21 अप्रैल, 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण" में दिनांक 24 अप्रैल, 1999 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से, उसके खातों पर खड़े हुए वृक्षों में उनके हितों का संरक्षण करने से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने और अन्य विधियाँ तथा क्षेत्र में की परिवर्तित परिस्थितियों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए विधि बनाने हेतु अधिनियम।

भारत के गणराज्य के उनचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999' है।
- (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है वे जनजातियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 65 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति के रूप में घोषित की गई हों और उसके अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट "अनुसूचित जनजातियाँ" आती हैं;
- (ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
- (ग) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर तथा उसके अन्तर्गत ऐसे जिले का अपर कलेक्टर भी आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो;
- (घ) "खाता" से अभिप्रेत है भूमि का टुकड़ा जिसका भू-राजस्व के लिए पृथक् से निर्धारण किया गया है तथा जो किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी द्वारा धारित है;
- (ङ) "विनिर्दिष्ट वृक्ष" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट वृक्षों की प्रजातियाँ;
- (च) अभिव्यक्ति "भूमिस्वामी" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये संहिता में दिया गया है।

3. आदिम जनजाति के भूमिस्वामी हम के उसके खाते पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्षों में हित का संरक्षण -

- (1) ऐसा भूमि स्वामी, जो आदिम जनजाति का हो, के खाते पर खड़े हुए विनिर्दिष्ट जाति के कोई भी वृक्ष इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय काटे नहीं जायेंगे, उनका परितक्षण नहीं किया जाएगा या
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् या उसके पूर्व आदिम जनजाति के वर्तमान भूमि स्वामी द्वारा या उसके पूर्ववर्ती द्वारा, उसके खाते में के विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी के विक्रय के लिए की गई कोई संविदा, चाहे वह कैसी भी हो, शून्य होगी, जिसमें उसकी उस भूमि, जिस पर ऐसे वृक्ष खड़े हुए हों, सहित या उसके बिना की, दोनों ही संविदाएँ सम्मिलित हैं।

1. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.4.99 पृष्ठ 565-566 पर प्रकाशित।

4. विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटने की अनुज्ञा

- (1) आदिम जनजाति का कोई भूमि स्वामी, जो अपने खाते पर खड़े हुए किसी विनिर्दिष्ट वृक्ष को काटने का आशय रखता है, कलेक्टर को, विहित प्रारूप में, उसके लिये पूरे और संपूर्ण कारणों को देते हुए, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

- (2) कलेक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएँ, आवेदन की जाँच करवाएगा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) तथा प्रभागीय अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किए बिना, आवेदन को मंजूर या नामंजूर नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा, उस दशा में, उत्तराधिकारी के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहाँ किसी भी रीति में, हक के अर्जन की तारीख के पश्चात्, पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो गई हो।

स्पष्टीकरण - संहिता के अधीन हक के अर्जन की तारीख नामांतरण के प्रमाणीकरण की तारीख होंगी।

- (3) किसी एक वर्ष में, वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों, की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमिस्वामी, धन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त कर सके जो किसी एक वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक न हो या जैसा कि कलेक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर, सम्यक् विचार करने के पश्चात् किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य या एक वृक्ष के लिए इनमें से जो भी उच्चतर हो अनुज्ञा दे सकेगा।

5. वृक्ष काटना, तथा विनिर्दिष्ट वृक्षों का विक्रय मूल्यांकन

- (1) ऐसे विनिर्दिष्ट वृक्षों का, जिनका काटा जाना अनुज्ञात किया गया है, मूल्यांकन प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित होगा।
- (2) कलेक्टर, धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा की एक प्रति प्रभागीय वन अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा। जो वृक्षों की कटाई करने, थप्पी लगाने, उनके परिवहन तथा विक्रय के लिये उत्तरदायी होगा, और उनका प्रतिफल भूमिस्वामी तथा कलेक्टर के संयुक्त खाते में विहित रीति में विप्रेषित करेगा।

6. भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान -

- (1) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम राष्ट्रीकृत बैंक की किसी शाखा में या जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में, कलेक्टर तथा भूमिस्वामी के संयुक्त खाते में निक्षिप्त की जाएगी, जिसका प्रचालन उनके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- (2) कलेक्टर, संयुक्त खाते में आहरण करने में यह सुनिश्चित करते हुए सर्वाधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतेगा कि आहरण भूमिस्वामी के सर्वोत्तम हित में और उसकी वास्तविक तथा असली आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन के लिये ही किया जाए।

7. प्रक्रिया - धारा 9 के अधीन की कार्यवाहियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि समस्त प्रयोजन के लिये वह संहिता के अधीन कार्यवाहियाँ हैं और संहिता में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

8. अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन - अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के उपबंध, जैसे कि वे संहिता में विहित किए गए हैं, कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश को भी लागू होंगे।

9. उल्लंघन के लिये दंड -

- (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों व उपबंधों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति जो आदिम जनजातियों के खातों में खड़े हुए विनिर्दिष्ट किन्हीं वृक्षों को काटता है, उनका परितक्षण करता है, उनमें कांट-छांट करता है या उनको अन्यथा नुकसान पहुँचाता है या उनके किसी भाग को हटाता है तो दोषसिद्धि होने पर ऐसे कठोर कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जायेगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी। परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षडयंत्र, कपट और छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात

लकड़ी के विक्रय आगम उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात् कलेक्टर के आदेश के अधीन पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए पचास प्रतिशत तक की सीमा तक भूमिस्वामी को दिये जायेंगे।

- (3) कोई सरकारी सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में असद्भावनापूर्वक आशय से कार्य करता है या सम्यक् सावधानी के बिना नियमों में यथा उपबंधित कोई आदेश पारित करता है या कोई अस्तय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विधि के अभिव्यक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे कठोर कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन कार्यवाहियों या दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त सरकारी सेवक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये भी दायित्वाधीन होगा।

10. अपराध संज्ञेय होंगे - धारा 9 के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

12. निरसन तथा व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्रायब्स (इन्ट्रेस्ट इन ट्रीज) एक्ट, 1959 (क्रमांक 11 सन् 1956) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से निरसित हो जाएगा :

परन्तु निरसित अधिनियम या नियमों के अधीन की गयी कोई कार्रवाई, जारी की गयी कोई अधिसूचना, प्रस्तुत की गयी कोई रिपोर्ट या पारित किए गए किसी आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, की गई है, प्रस्तुत की गई है या पारित की गई/गया है।

अनुसूची

(धारा 2 (ड) देखिये)

विनिर्दिष्ट जाति के वृक्षों की सूची

- | | |
|--|---|
| 1. सागवान (टेक्टोना ग्रैंडिस) | 11. लेन्डिया (लेगर स्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा) |
| 2. बीजा (अरोकारपस मारसूपियम) | 12. धावड़ा (एनोगाइसस लेटीफोलिया) |
| 3. शीशम (डलबर्जिया लैटिफोलिया) | 13. खैर (अकोसिया केटेचू) |
| 4. साल (शोरिया रोबस्टा) | 14. खमार (मैलाइना आरबोरिया) |
| 5. तिन्सा (आंऊजीनिया ऊजैनैन्सिस) | 15. चन्दन (सेंटलम अल्बम) |
| 6. साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा) | 16. हल्दू (एडाईना कार्डिफोलिया) |
| 7. महुआ (मधुका इंडिका) | 17. आम (मैजीफेरा-इंडिका) |
| 8. भिर्रा (क्लोरोक्जीलान स्वीटीनिया) | 18. जामुन (यूजीनिया-यूजेनिन्सिस) |
| 9. करंज (पोंगामिया ग्लेबरा) | 19. इमली (टेमेरिंडस इंडिका) |
| 10. तेन्दू (डाययोस्पायरस मेलानॉक्सलॉन) | 20. अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुना) |